समाचार

बिना मास्क पहनने बाहर निकलने पर 10 लोगों को लगा 2500 रूपये का जुर्माना

कोरबा 17 अप्रैल 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर व सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर आज निगम द्वारा 10 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा उनसे 1250 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसके परिपालन में आयुक्त श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 285 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्त निर्देशों की स्वीकृति के अधीन नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु निगम क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। निगम के सर्वमंगला जोनांतर्गत आज बिना मास्क पहने 05 लोगों को निगम अमले द्वारा 1250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार बालको जोन में भी 05 लोगो को 1250 रूपये का जुर्माना किया गया। निगम अमले ने उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे बिना मास्क पहने घर बाहर न निकले तथा सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना न आयें।

आज 4532 को बना हुआ भोजन, 1291 लोगों को राशन सामग्री किट – नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु लागू लाकडाउन के 24वें दिन आज 4532 व्यक्तियों को बना हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया, वहीं 1291 व्यक्तियों को निःशुल्क राशन सामग्री के किट का वितरण किया गया। बना हुआ भोजन उपलब्ध कराने में अग्रवाल समाज, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, गायत्री प्रज्ञापीठ, छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसायटी, एक्ट आफ ह्यूमिनिटी, जंगली फैमिली कोरबा, अनंत इमेजिन वेलफेयर सोसायटी कोरबा द्वारा 4532 पैकेट बना हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया।

दानदाताओं ने दिया सहयोग– जरूरतमंदों को राशन सामग्री दिए जाने हेतु दानदाताओं द्वारा निगम को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। आज बालको पेट्रोल पम्प द्वारा 50 पैकेट राशन सामग्री किट निगम को उपलब्ध कराई गई, वहीं विराट टेंटहाउस द्वारा 02 क्विंटल चावल दिया गया, साथ ही एम.एल.राठौर द्वारा 35 किलो चावल जरूरतमंदों के वितरण हेतु निगम को उपलब्ध कराया गया।

सेनेटाईजेशन कार्य निरंतर जारी–महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री राहुल देव के मार्गदर्शन में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निरंतर रूप से सेनेटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है। आज सभी शासकीय कार्यालयों, जिला चिकित्सालय, कोरन्टाईन सेंटर, एम्बुलेंस वाहन, पुलिस लाईन, पुलिस थाना चौकी, निजी अस्पताल व क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, किराना दुकान सहित वार्ड क्र. 03, 09, 22, 39, 44, 45, 53, 63, 65 आदि में सेनेटाईजेशन का कार्य अभियान के रूप में चलाया गया। इसके साथ ही पूरे कोरबा शहर में विशेष साफ–सफाई करते हुए नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई, कचरे का उठाव, डोर–टू–डोर कचरे का संग्रहण, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया।